प्रेस विज्ञप्ति
3/6/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में हीरा ग्रुप और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत नाज़नीन अंसारी उर्फ अबीदा को 2/06/2026 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा श्रीमती नौहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ फर्जी निवेश योजनाओं के तहत भारी जमा राशि एकत्र करके निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला कि नाज़नीन अंसारी श्रीमती नौहेरा शेख की निजी सहायक के रूप में काम कर रही थीं। वह ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों पर कब्ज़ा करने, उनसे किराया वसूलने, हीरा ग्रुप में निवेश के लिए नए पीड़ितों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न अधिकारियों को गुमराह करने में सक्रिय रूप से शामिल थीं। जांच में यह भी पता चला कि अपराध की आय से प्राप्त कुर्क संपत्तियों पर उनका कब्ज़ा था और वे उनका उपयोग कर रही थीं, और ऐसी कुर्क संपत्तियों के निरंतर व्यावसायिक शोषण को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

जांच में यह भी पता चला कि हीरा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच की पूरी जानकारी होने के बावजूद, वह विभिन्न पीड़ितों से निवेश जुटाने में भाग लेती रहीं और मदद करती रहीं।

जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री से पता चला कि नाज़नीन अंसारी ने जानबूझकर अपराध से प्राप्त धन के कब्जे, उपयोग, छिपाव, प्रदर्शन और उससे और अधिक आय उत्पन्न करने से संबंधित गतिविधियों में सहायता की और वास्तव में उसमें शामिल थीं, और इस प्रकार उन्होंने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया।

उनके पास कई कुर्क की गई संपत्तियां थीं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ईडी द्वारा नीलाम किया गया था। इसके अलावा, वह नीलामी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से भली-भांति परिचित थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने अधीन कर्मचारियों को किसी भी कुर्क की गई संपत्ति का निरीक्षण न करने देने का निर्देश देकर और उन्हें बेदाग दिखाकर नीलामी की कार्यवाही में बाधा डाली।

ईडी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानूनी कार्यवाही से बचने, जांच में हस्तक्षेप करने या नीलामी की कार्यवाही में बाधा डालने का कोई भी प्रयास कानून के विरुद्ध है।

आगे की जांच जारी है।